

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या 17899/2012, कांति कुमारी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 15.01.2014 को पारित आदेश के आलोक में गठित द्विसदस्यीय समिति द्वारा 34540 कोटि के अयोग्य एवं लंबित मामलों की समीक्षा हेतु दिनांक 14.07.2015 को हुई बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति:- पंजी के अनुसार अलग से संधारित।**

सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 17899/2012 (कांति कुमारी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 15.01.2014 को पारित आदेश के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना की द्विसदस्यीय समिति द्वारा जिलों से प्राप्त कुल रद्द एवं लंबित आवेदन पत्रों की जाँच की गयी। उपरोक्त सी०डब्ल्यू०जे०सी० में कुल रद्द एवं लंबित आवेदन पत्रों की संख्या क्रमशः 118 एवं 366 बतायी गयी थी। समिति द्वारा सभी मूल आवेदन पत्रों को जिला से मंगाने के उपरान्त अंतिम रूप से रद्द आवेदन पत्रों की संख्या 143 एवं लंबित आवेदन पत्रों की संख्या 255 पायी गयी।


द्विसदस्यीय समिति द्वारा उपरोक्त 143 (रद्द) एवं 255 (लंबित) मूल आवेदन पत्रों की समीक्षा दिनांक 14.07.2015 को की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश एवं दिए गए निदेश के आलोक में समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आए जिस पर निर्णय लिया गया, जो निम्नांकित है:-

**रद्द आवेदन पत्र :- कुल 143 (एक सौ तैतालिस)**

**जिला का नाम :- सीवान**

- |   |                   |                                                                      |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | किरण कुमार गुप्ता | गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य। |
| 2 | श्याम कुमार       | गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य। |
| 3 | शशिकान्त प्रसाद   | गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य। |
| 4 | अरविन्द कुमार     | गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य। |
| 5 | विजय कुमार शाह    | गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य। |
| 6 | सुशीला कुमारी     | गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य। |
| 7 | मो० हाशीम         | गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य। |





- 8 उमाकान्त प्रसाद गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ0प्र0 से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
- 9 मो0 इसराफिल गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ0प्र0 से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
10. सैनुल हक 200 अंकों की उर्दू उत्तीर्णता का सत्यापन कर अग्रेत्तर कार्रवाई नियमानुसार किया जाए।
11. महबूब आलम डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया, बेगूसराय, बिहार से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- वैशाली

- 1 अमृत सदा एक वर्षीय प्रशिक्षण अमान्य है। अयोग्य
- 2 मोविन अंसारी एक वर्षीय प्रशिक्षण अमान्य है। अयोग्य

जिला का नाम :- सीतामढ़ी

- 1 अता हुसैना अंसारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डु से एक वर्षीय प्रशिक्षण (1993-94) में उत्तीर्णता हासिल की है जो अमान्य है। अयोग्य।
- 2 प्रदीप कुमार शर्मा भारतीय शिक्षा परिषद् से प्रशिक्षण अमान्य। अयोग्य।
- 3 दिलीप कुमार गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ0प्र0 से प्रशिक्षण अमान्य। अयोग्य।
- 4 रामप्रवेश प्रसाद गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ0प्र0 से प्रशिक्षण अमान्य। अयोग्य।


जिला का नाम :- अररिया

- 1 विनय कुमार सिंह प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बरहेट, जिला साहेबगंज से सत्र 1982-83 का प्रशिक्षण है। एक वर्षीय प्रशिक्षण अमान्य। अयोग्य।
- 2 नीरज कुमार विभू प्रशिक्षण प्रमाण पत्र All india correspondence coaching society Calcutta का प्रशिक्षण अमान्य है। अयोग्य
- 3 रामचन्द्र यादव संचिका में प्रशिक्षण का चेकस्लीप (पत्रांक 1024 दिनांक 27.11.14 जिला शिक्षा पदा0 अररिया) द्वारा निदेशक प्रा0शि0 विभाग बिहार को प्रेषित पत्र में प्रशिक्षण सेवाभारती अध्यापन मंदिर बताया गया है जो अमान्य है। अयोग्य
- 4 सदानन्द विभू प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र All india correspondence coaching society Calcutta का प्रशिक्षण अमान्य है। अयोग्य
- 5 बेबी कुमारी 2004-05 सत्र का B.ed. परीक्षाफल का प्रकाशन- 15.04.2006। विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 23.01.2006 तक प्रकाशित प्रशिक्षण परीक्षाफल के अभ्यर्थी को ही लिया जाना है। अयोग्य।

- 6 नवीन कुमार B.ed. की परीक्षा May 2006 में हुई थी। विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 23.01.2006 तक प्रकाशित प्रशिक्षण परीक्षाफल के अभ्यर्थी को ही लिया जाना है। अयोग्य।
- 7 रविशंकर प्रसाद B.ed. सत्र 2005 वर्ष का है। अंक पत्र 22.6 2006 को निर्गत Certificat (B.ed)- 02.02.2006 को निर्गत। विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 23.01.2006 तक प्रकाशित प्रशिक्षण परीक्षाफल के अभ्यर्थी को ही लिया जाना है। अयोग्य।
- 8 अनिल कुमार रजक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से शिक्षा विशारद की योग्यता अमान्य है। अयोग्य।
- 9 विनित कुमार चौधरी B.ed. examination 2005 वर्ष का है। अंकपत्र -17.03.2007 को निर्गत है। Provisional certificate -17.03.2007 का है। विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 23.01.2006 तक प्रकाशित प्रशिक्षण परीक्षाफल के अभ्यर्थी को ही लिया जाना है। अयोग्य।
- 10 शिवशंकर कुमार B.ed. exam. April 2006. विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 23.01.2006 तक प्रकाशित प्रशिक्षण परीक्षाफल के अभ्यर्थी को ही लिया जाना है। अयोग्य।
- 11 सुधाकर कुमार ख्वाजा शाहिद हुसैन प्रा० शि० प्रशिक्षण महा०, निस्ता कटिहार से 1985-87 सत्र का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है। इस सत्र की मान्यता है। काउंसेलिंग के लिए अनुशंसित।

जिला का नाम :- मुंगेर

- 1 आरती देवी हिन्दी विद्यापीठ देवघर से प्रवेशिका परीक्षा वर्ष 1972 में उत्तीर्ण है। शिक्षक प्रशिक्षण -1979-81 है। देवघर विद्यापीठ की उपाधि को 31.12.1987 तक समकक्षता है। काउंसेलिंग के लिए अनुशंसित।
- 2 काशी रानी FIR/ मूल आवेदन पत्र उच्च न्यायालय में जमा। अभ्यर्थी के संबंध में समिति के निर्णय से इतर मामला है। प्रयाग महिला विद्यापीठ से विद्या विनोदिनी। एस.पी. मुंगेर का प्रतिवेदन संलग्न।
- 3 सुनयना देवी हिन्दी विद्यापीठ से प्रवेशिका परीक्षा वर्ष 1972 में उत्तीर्ण है। देवघर विद्यापीठ की उपाधि को 31.12.1987 तक समकक्षता है। काउंसेलिंग के लिए अनुशंसित।
- 4 कुमारी नन्दिनी R.G Polytecnic delhi से Diploma in Education से प्रशिक्षण अमान्य है। अयोग्य।
- 5 सत्यनारायण प्रसाद R.G Polytecnic delhi से Diploma in Education से प्रशिक्षण अमान्य है। अयोग्य।





जिला का नाम :- नालन्दा

- 1 सोहैल अख्तर जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा वर्ष 1997 में प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
- 2 सोहैल सरवर जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा वर्ष 1997 में प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
- 3 Aziru Rahman जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा वर्ष 1997 में प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
- 4 Zahidur Rahman जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा वर्ष 1997 में प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
- 5 Khalid Mahboob जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा वर्ष 2002 में प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
- 6 नरेन्द्र कुमार वर्मा राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से शिक्षालंकार (B.ed) (संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 437 दिनांक 26.6.12 द्वारा अमान्य। आयोग्य।
- 7 नंदलाल प्रसाद राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से शिक्षालंकार(B.ed) (संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 437 दिनांक 26.6.12 द्वारा अमान्य। अयोग्य।
- 8 नन्दु रविदास डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगुसराय, बिहार से शिक्षक प्रशिक्षण। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 11 दिनांक 07.01.2013 द्वारा डिग्री अमान्य। अयोग्य।
- 9 शैलेन्द्र कुमार डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगुसराय, बिहार से शिक्षक प्रशिक्षण। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 11 दिनांक 07.01.2013 द्वारा डिग्री अमान्य। अयोग्य।
- 10 श्रवण पासवान डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगुसराय, बिहार से शिक्षक प्रशिक्षण। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 11 दिनांक 07.01.2013 द्वारा डिग्री अमान्य। अयोग्य।
- 11 चन्द्र भूषण डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगुसराय, बिहार से शिक्षक प्रशिक्षण। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 11 दिनांक 07.01.2013 द्वारा डिग्री अमान्य। अयोग्य।
- 12 राजेन्द्र प्रसाद डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगुसराय, बिहार से शिक्षक प्रशिक्षण। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 11 दिनांक 07.01.2013 द्वारा डिग्री अमान्य। अयोग्य।
- 13 आनंद भूषण डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगुसराय, बिहार से शिक्षक प्रशिक्षण। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 11 दिनांक 07.01.2013 द्वारा डिग्री अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- सुपौल

- 1 मराधु राम बम्बई हिन्दी विद्यापीठ से हिन्दी शिक्षक उपाधि परीक्षा। अमान्य। अयोग्य।
- 2 देवकान्त प्रसाद गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ0प्र0 से BTC अमान्य। अयोग्य
- 3 रविन्द्रनाथ ठाकुर गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ0प्र0 से BTC अमान्य। अयोग्य

*R. Kumar*

- 4 नथनी राम बम्बई हिन्दी विद्यापीठ से हिन्दी शिक्षक उपाधि परीक्षा अमान्य।  
अयोग्य
- 5 वीना कुमारी गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से BTC अमान्य। अयोग्य।
- 6 खुशींद अनवर गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से BTC अमान्य। अयोग्य।
- 7 मो० इब्राहिम गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से BTC अमान्य। अयोग्य।
- 8 मो० इसराईल गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० से BTC अमान्य। अयोग्य।
- 9 वीवी अंजुम आरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से अनुर्तीण। अयोग्य।

जिला का नाम :- किशनगंज

- 1 मंसूर आलम एक वर्षीय प्रशिक्षण। अयोग्य।
- 2 योगेन्द्र गगेश एक वर्षीय प्रशिक्षण। अयोग्य।
- 3 मुनिन्द्र कुमार डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया, बेगुसराय, बिहार से प्रशिक्षण की डिग्री। अमान्य। अयोग्य।
- 4 चुन्नु कुमार डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया, बेगुसराय, बिहार से प्रशिक्षण की डिग्री। अमान्य। अयोग्य।
- 5 शम्भू नाथ पासवान डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया, बेगुसराय, बिहार से प्रशिक्षण की डिग्री। अमान्य। अयोग्य।
- 6 संजय कुमार एक वर्षीय प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
- 7 विवेकानन्द कुमार प्रियदर्शी डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया, बेगुसराय, बिहार से प्रशिक्षण की डिग्री। अमान्य। अयोग्य।
- 8 अरविन्द कुमार मंडल गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० का प्रशिक्षण (प्रमाण पत्र संलग्न नहीं)। अयोग्य
- 9 उमेश कुमार गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० का प्रशिक्षण (प्रमाण पत्र संलग्न नहीं)। अयोग्य
- 10 कैलाश कु० भारती गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग उ०प्र० का प्रशिक्षण (प्रमाण पत्र संलग्न नहीं)। अयोग्य
- 11 चन्द्र शेखर राम भारतीय शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से की B.ed डिग्री। अमान्य। अयोग्य।
- 12 राम सोगरथ कामती भारतीय शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से की B.ed डिग्री अमान्य। अयोग्य।

- 13 नौशाद आलम साद प्रमाण पत्रों के कागजात संलग्न नहीं । अभ्यर्थी का भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि पर कराकर निर्णय लिया जायगा ।
- 14 मो० इब्राहिम एक वर्षीय प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
- 15 नजरूल हक प्रशिक्षण अवधि 1988-90 की दो वर्षीय है । प्राथमिक शिक्षक शिक्षा, महाविद्यालय मिल्लिया सैयर रामबाग पूर्णिया से प्रशिक्षण प्राप्त है । विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता है । काउंसेलिंग के लिए अनुशंसित ।

जिला का नाम :- बक्सर

1. मो० अतिउर रहमान-

इनकी बी०एड० की उत्तीर्णता 23.01.2006 के बाद की है । अतः अयोग्य है ।

जिला का नाम :- मुजफ्फरपुर


1. नूतन कुमारी :- महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रामबाग मुजफ्फरपुर से प्रशिक्षण उर्तीण है । अभ्यर्थी द्वारा विद्या विनोदिनी वर्ष 1987 में एवं विदुषी की परीक्षा 1989 में प्रयाग महिला विद्यापीठ से किया गया है । मान्य । योग्य ।
2. मनोज कुमार चौधरी :- गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है । अमान्य । अयोग्य ।
3. उमेश महतो :- डॉ० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया बेगुसराय, बिहार से परीक्षा उर्तीण किया है । अमान्य । अयोग्य ।
4. राम सेवक पासवान :- गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है । अमान्य । अयोग्य ।
5. जितेन्द्र कुमार :- डॉ० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया बेगुसराय से परीक्षा उर्तीण किया है । अमान्य । अयोग्य ।

जिला का नाम :- बांका

1. श्री रमेश चन्द्र झा- श्री झा के बारे में बताया गया कि काउन्सेलिंग के समय वास्तविक जन्मतिथि 02.10.1950 पाया गया इस कारण उनका रद्द किया गया प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है । उर्म 60 वर्ष से उपर हो चुकी है । अयोग्य ।
2. श्री दिलीप कुमार- श्री दिलीप कुमार के स्थान फर्जी अभ्यर्थी काउसेलिंग मे भाग लिया जो फर्जीवाडा का मामला लगता है । अभ्यर्थी की भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित पर उपस्थित कराकर निर्णय लिया जाय ।

जिला का नाम :- भागलपुर

1. श्री विनय कुमार यादव- आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
2. उषा कुमारी - आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।



3. धुब्रेन्द्र प्रसाद यादव— आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
4. रमाकान्त यादव— आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
5. महादेव यादव— आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
6. निर्मला कुमारी— आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
7. कृष्णकान्त प्रसाद— आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
8. राजेन्द्र कुमार— आर्य पी०टी०टी०सी० छतवारा, वैशाली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
9. सुभाष चन्द्र सिंह— अराजकीय पी०टी०टी०सी० बालूघाट, मुजफ्फरपुर। अमान्य। अयोग्य।
10. ललन प्रसाद सिंह— अराजकीय पी०टी०टी०सी० बालूघाट, मुजफ्फरपुर। अमान्य। अयोग्य।
11. विनिता कुमारी— अराजकीय पी०टी०टी०सी० बालूघाट, मुजफ्फरपुर। अमान्य। अयोग्य।
12. शैलेन्द्र कुमार— 1985-87 सत्र में ख्वाजा शाहिद हुसैन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, निस्ता, कटिहार से प्रशिक्षण प्राप्त। विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता दी गयी है। काउंसिलिंग हेतु अनुशंसित।
13. शीला कुमारी— 1986-88 सत्र में ख्वाजा शाहिद हुसैन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, निस्ता, कटिहार से प्रशिक्षण प्राप्त। विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता दी गयी है। काउंसिलिंग हेतु अनुशंसित।
14. बलिराम सिंह— भगवान बुद्ध पी०टी०टी०सी० बजरहिया, सिवान से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
15. सुनिल कुमार पंडित— ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कलकता से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
16. खगेन्द्र झा— राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
17. दाउद अली अजीज— सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नालंदा से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।

18. प्रमोद कुमार श्री रावतपुरा स्वरकार कॉलेज, छतीसगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
19. शिवकान्त पंडित राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
20. देवराज दिलीप डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ जोकिया, बेगुसराय, बिहार से प्रशिक्षण की डिग्री। अमान्य। अयोग्य।
21. प्रवीन्द्र कुमार यादव सेवा भारती अध्यापन मंदिर, सेवापुरी, वाराणसी से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
22. महेश प्रसाद सिंह एक वर्षीय प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
23. सतीश चन्द्र झा आई०टी०आई० प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
24. देवकान्त एन०आई०भी०एच०, देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- लखीसराय

1. मो० खुशीद आलम अंसारी- श्री अंसारी का इन्टर में उर्दू विषय में 200 अंक की उर्तीणता नहीं है। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- दरभंगा

1. असफाक अहमद- डिप्लोमा इन एजुकेशन। अमान्य। अयोग्य।
2. अब्दुल मजीद- एक वर्षीय प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
3. मुजीबुल हक अंसारी- एस०टी०सी० ट्रेनिंग। अमान्य। अयोग्य।
4. मो० जुबैर आलम- डिप्लोमा इन एजुकेशन। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- गया

1. फरजाना कौसर- अभ्यर्थी द्वारा मिलिया कनिज फातिमा महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रामबाग, पूर्णियाँ से 1985-87 सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता दी गयी है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
2. विजय कुमार प्रशिक्षण सत्र 82-84 में प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शेरघाटी, गया से प्रशिक्षण प्राप्त है। विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता दी गयी है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
3. जर्नादन सिंह प्रशिक्षण सत्र 82-84 में प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शेरघाटी, गया से प्रशिक्षण प्राप्त है। विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता दी गयी है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।


*Shikhar*



4. कमलेश प्रसाद सिंह प्रशिक्षण सत्र 82-84 में प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शेरघाटी, गया से प्रशिक्षण प्राप्त है। विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता दी गयी है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
5. कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह- दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
6. इन्दू कुमारी , अभ्यर्थी द्वारा सी0पी0एड0 की डिग्री। अमान्य। अयोग्य।
7. उमेश कुमार शर्मा गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
8. गणेश प्रसाद गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
9. राम नरेश गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
10. सुरेन्द्र दास आर0जी0 पोलिटेकनिक, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
11. मंजु कुमारी गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- शेखपुरा

1. तकु अहमद नुमानी गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
2. मो0 मुजीबुर रहमान जेबियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, गोवा से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
3. मो0 इरफान एस0 वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, दरभंगा से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
4. अब्दुल जब्बार अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नगरपारा, भागलपुर से प्रशिक्षण प्राप्त। यह सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
5. मो0 निजामुद्दीन एस0 वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, दरभंगा से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
6. कैसर आलम एस0 वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, दरभंगा से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
7. संतोष कुमार अपी अभ्यर्थी द्वारा पी0टी0टी0ई0 कॉलेज पूसा, समस्तीपुर से प्रशिक्षण प्राप्त। यह सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
8. कुमार गौरव सिस्टर निवेदिता कॉलेज कोलकाता से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।



9. अब्दुल रब्बान सिस्टर निवेदिता कॉलेज कोलकाता से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
10. इम्तयाज अहमद गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
11. हैदर आलम गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
12. खुसरो परवेज गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
13. तसद्दुक हुसैन गांधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
14. अंसार अहमद भारतीय शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- समस्तीपुर

1. विश्वनाथ रजक गांधी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
2. रीना कुमारी गांधी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
3. भूलन पासवान गांधी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
4. बेबी कुमारी गांधी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।
5. नागेश्वर प्रसाद मेहरा गांधी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त।  
अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- मधेपुरा

1. रामकृष्ण विद्यार्थी - अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर लगे फोटो एवं अभ्यर्थी में समानता नहीं होने के कारण लंबित होना प्रतिवेदित है। अभ्यर्थी का भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि को कराकर निर्णय लिया जाय।
2. मो० वसी अहमद- एस० वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, दरभंगा से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
3. मो० फिरदौस अली- एस० वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, दरभंगा से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :- कटिहार

1. अबुल कासिम एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
2. मो० महफिल आलम एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
3. अब्दुल हन्नान एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।

*Handwritten signature*

जिलावार लंबित 366 (तीन सौ सियासठ) मामलों की समीक्षा की विवरणी :-

जिला का नाम :-सुपौल ,


1. शमसेर अहमद :- आवेदक द्वारा दो आवेदन पत्र समर्पित किया गया था, जो क्रमशः क्रमांक 99 एवं क्रमांक 100 पर अंकित था ।  
(b) क्रमांक 99 के आवेदन पत्र के आधार पर इनकी नियुक्ति पत्र दिया गया है ।  
(c) क्रमांक 100 का आवेदन पत्र अमान्य किया गया, जो जिला द्वारा पत्र में प्रतिवेदित है । निर्णय अपेक्षित नहीं है ।
2. तैयब हसन :- सेवाकालीन प्रशिक्षण 1 वर्षीय है । अमान्य । अयोग्य ।
3. जवाहर लाल झा :- विद्यालय आवंटन हेतु लौटरी प्रक्रिया में अनुपस्थित । जिला द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अनुशंसित ।
4. संजय मुखिया :- अमान्य संस्थान डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया बेगूसराय, बिहार से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
5. रवीन्द्र कुमार सिन्हा :- आवेदक का आवेदन पत्र संचिका में नहीं है । जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा गाँधी हिन्दी विद्यापीठ उ0 प्र0 से प्रशिक्षण लिया गया है, जो अमान्य है । अयोग्य ।


जिला का नाम :-भागलपुर

1. अखलाक हुसैन :- आवेदक द्वारा मूल आवेदन पत्र पर बी0 एड0 के कॉलम में सत्र 1985-86 में T.T. College, Tejpur Assam, Gauhati University से पास करने का उल्लेख है । अभ्यर्थी का भौतिक सत्यापन कराकर निर्णय लिया जायगा ।
2. इन्दु कुमारी :- आवेदिका BC Category की महिला हैं । लेकिन मेधा सूची में आरक्षण कोटि EBC अंकित हो गया है । जिला द्वारा इन्हें BC Category महिला कोटि मानते हुए अन्य अभिलेखों की जाँच कर काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित ।
3. मो0 हैदर अली :- आवेदक द्वारा आवेदन उर्दू विषय शिक्षक का किया गया है, परन्तु मेधा सूची में सामान्य शिक्षक के कोटि में इनका नाम अंकित है । जिला द्वारा इन्हें उर्दू कोटि में मानते हुए अन्य अभिलेखों की जाँच कर काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित ।

जिला का नाम :-बाँका

1. कुमारी सुनीता (a) अभ्यर्थी के दावा को लंबित रखने का कारण चेक लिस्ट के साथ संलग्न छायाचित्र एवं हस्ताक्षर तथा काउंसेलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी के छायाचित्र एवं हस्ताक्षर को भिन्न होना बताया गया है । अभ्यर्थी के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित कराकर निर्णय लिया जाय ।






जिला का नाम :-पटना

1. अवधेश कुमार :- प्रशिक्षण All India Board of Secondary education, Delhi से है, जो अमान्य संस्था है । अयोग्य ।
2. ब्रजभूषण प्रसाद :- प्रशिक्षण उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली का है । अमान्य/अयोग्य ।
3. सुजीत कुमार :- प्रशिक्षण सेवा भारती अध्यापन मंदिर, सेत्रापुड़ी, वाराणसी का है, जो अमान्य संस्था है । अयोग्य ।
4. सत्येन्द्र कुमार सिंह :- राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर से प्रशिक्षण है । अमान्य । अयोग्य ।
5. दिनेश कुमार पासवान :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय का प्रशिक्षण है । अमान्य । अयोग्य ।
6. अजय कुमार :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय का प्रशिक्षण है । अमान्य । अयोग्य ।
7. कारू पासवान :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय का प्रशिक्षण है । अमान्य । अयोग्य ।
8. रामकृष्ण प्रसाद :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय का प्रशिक्षण है । अमान्य । अयोग्य ।
9. सियाशंकर पासवान :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय का प्रशिक्षण है । अमान्य । अयोग्य ।
10. जगदीश प्रसाद पंडित :- सेवा भारती अध्यापन मंदिर, वाराणसी । अमान्य । अयोग्य ।
11. मो० सरफराज आलम :- भारतीय शिक्षा परिषद्, उ०प्र० से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
12. विनय कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद । अमान्य । अयोग्य ।
13. रेखा चन्द्र :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
14. नूरजहाँ (उर्दू शिक्षक) :- David Hare College of Correspondence से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।

जिला का नाम :-भोजपुर



1. कावेरी मोहन :- प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
2. परसुराम सिंह :- बृहद गुजरात संस्कृत परिषद् अहमदाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
3. मुक्ता वर्मा :- राज्य प्रवैधिकी शिक्षा परिषद् से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
4. लाल मुनी राम :- मुम्बई हिन्दी विद्यापीठ से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
5. कौशल यादव :- लॉटरी में अनुपस्थित । जिला द्वारा काउंसिलिंग की कार्रवाई हेतु अनुशंसित ।
6. पूनम कुमारी :- लॉटरी में अनुपस्थित । जिला द्वारा काउंसिलिंग की कार्रवाई हेतु अनुशंसित ।



7. मो० मकसूद आलम :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 2001 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
8. हबीबा खातून :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 1997 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
9. मो० इकबाल खान :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 1999 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
10. मो० समीम अनवर :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 2001 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
11. मो० सेराज खान :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 2002 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
12. कमाल हसन :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 2004 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
13. मो० सबीर आलम :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 2004 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
14. मो० नौसाद खान :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से वर्ष 2004 में मोअल्लम-ए-उर्दू का प्रशिक्षण ।  
अमान्य । अयोग्य ।
15. मो० समीम :- नवभारत शिक्षा परिषद्, उड़ीसा । अमान्य । अयोग्य ।
16. मो० तकरीमुल्ला :- भारतीय शिक्षा परिषद् उ०प्र० । अमान्य । अयोग्य ।
17. अनवर अली :- ऑल इंडिया तालीम धर, लखनउ । अमान्य । अयोग्य ।

जिला का नाम :-नालंदा

1. परशुराम प्रसाद :- STC (संक्षिप्त सत्र) से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
2. श्याम सुंदर प्रसाद :- संक्षिप्त सत्र के प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
3. इम्तियाज अहमद :- प्रशिक्षण डिप्लोमा इन एजुकेशन (अरबी फारसी) । अमान्य । अयोग्य ।
4. शैलेन्द्र कुमार सिन्हा :- जन्म तिथि-22.01.55 । इनकी उम्र 60 वर्ष से उपर हो चुकी है । विचार योग्य नहीं है ।
5. ब्रहमदेव प्रसाद :- जन्म तिथि 22.10.53 । इनकी उम्र 60 वर्ष से उपर हो चुकी है । विचार योग्य



- नहीं है।
6. जनार्दन प्रसाद :- जन्म तिथि 30.04.53। इनकी उम्र 60 वर्ष से उपर हो चुकी है। विचार योग्य नहीं है।
7. अरविन्द कुमार :- जन्म तिथि 15.03.1953। इनकी उम्र 60 वर्ष से उपर हो चुकी है। विचार योग्य नहीं है।
8. नवल किशोर :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
9. अशोक पंडित अंजाना :- ऑल इण्डिया कॉरेसपोन्डेंस कोचिंग संस्थान, कलकत्ता से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
10. नरेश पंडित :- ऑल इण्डिया कॉरेसपोन्डेंस कोचिंग संस्थान, कलकत्ता से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
11. नरेश शर्मा :- ऑल इण्डिया कॉरेसपोन्डेंस कोचिंग संस्थान, कलकत्ता से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
12. कुमारी रंजना सिन्हा :- प्रशिक्षण संबंधी कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। अभ्यर्थी के संबंध में जिला द्वारा प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्णता का साक्ष्य नहीं दिया गया है। अस्वीकृत।
13. अरविन्द कुमार :- एक ही आवेदन पर दो उम्मीदवार उपस्थित होने के संबंध में जिला द्वारा प्रतिवेदित है। अभ्यर्थी के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित कराकर निर्णय लिया जायगा।
14. नौसाद अखतर :- आवेदन उर्दू शिक्षक के लिए। इण्टरमिडिएट में उर्दू विषय में 200 अंक में उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण-पत्र नहीं है। उर्दू 200 अंक की योग्यता का सत्यापन कर अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा।

जिला का नाम :-रोहतास

1. शांति सिन्हा
- (a) आवेदिका का नाम शान्ति सिन्हा है जैसा कि मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों पर अंकित है।
- (b) भूलवश कम्प्यूटर एन्ट्री में नाम शांति कुमारी अंकित हो गया है।
- (c) जिला द्वारा इन्हें शांति सिन्हा मानते हुए अन्य अभिलेखों की जाँच कर काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
2. सिद्धेश्वरी सिंह
- (a) आवेदक द्वारा मूल आवेदन पत्र में सिद्धेश्वर सिंह अंकित है तथा गृह पता में ग्राम अदमापुर, पोस्ट तोरनी, भाया-शिवसागर, जिला-रोहतास अंकित है।
- (b) कम्प्यूटर एन्ट्री में भूलवश नाम **Siddeswar Singh**, ग्राम-आदमपुर, पो0-तोरनी, भाया-कुंदरा, जिला-कैमूर अंकित है।
- (c) जिला द्वारा इन्हें सिद्धेश्वरी सिंह ग्राम अदमापुर, पोस्ट तोरनी, भाया-शिवसागर, जिला-रोहतास मानते हुए अन्य अभिलेखों की जाँच कर काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।

3. अवध बिहार दूबे :- अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02.01.55 है अतः 60 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं । अब विचार नहीं हो सकता है । अयोग्य ।

जिला का नाम :-समस्तीपुर

1. अब्दुल कुददुस :- अमान्य संस्था से प्रशिक्षण (गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग) । अमान्य । अयोग्य ।
2. सोहराब आलम :- अमान्य संस्था से प्रशिक्षण (भारतीय शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश) । अमान्य । अयोग्य ।
3. मसकूर आलम :- अमान्य संस्था से प्रशिक्षण (भारतीय शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश) । अमान्य । अयोग्य ।
4. रजी अहमद :- अमान्य संस्था से प्रशिक्षण (एस0 वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण, दरभंगा) । अमान्य । अयोग्य ।
5. मो0 सरफे आलम :- अमान्य संस्था से प्रशिक्षण (एस0 वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण, दरभंगा) । अमान्य । अयोग्य ।


जिला का नाम :- वैशाली

1. अशोक कुमार ठाकुर :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग अमान्य संस्था से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
2. विनय कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग अमान्य संस्था से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
3. शशिकांत गुप्ता :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग अमान्य संस्था से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
4. गणेश कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग अमान्य संस्था से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
5. आनन्द कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग अमान्य संस्था से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
6. राजेश कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग अमान्य संस्था से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।

जिला का नाम :-मधुबनी

1. नीरस पासवान :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
2. शंकर राम :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
3. दिनेश कुमार राम :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।
4. महेश्वर कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण । अमान्य । अयोग्य ।





5. वकील राम :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
6. अरविन्द कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :-खगड़िया

1. अमरेन्द्र कुमार मंडल :- काउंसेलिंग में अनुपस्थित प्रतिवेदित। विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि को काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
2. अमरेन्द्र कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
3. शशि शेखर यादव :- अभ्यर्थी द्वारा ख्वाजा शाहिद हुसैन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, निस्ता, कटिहार से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। प्रशिक्षण सत्र 1986-88 का है। विभाग द्वारा इस सत्र की मान्यता है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
4. राजेश्वर कुमार रंजन :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।
5. धर्मवीर कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।
6. सुबोध कुमार :- आर0 जी0 पोलिटेकनीक, दिल्ली से डिप्लोमा इन एडुकेशन। अमान्य। अयोग्य।
7. प्रमोद पासवान :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
8. प्रभु पासवान :- Sister निवेरिता कॉलेज Calcutta से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
9. सुधा कुमारी :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।
10. कपिलदेव पासवान :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।
11. सुनील कुमार पासवान :- Xavier International University, Bali, Goa से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
12. मुन्ना कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।
13. नीतू कुमारी :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।
14. अनिल कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।
15. सरफराज आलक (उर्दू शिक्षक) :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :-लखीसराय

1. आनन्दी प्रसाद यादव :- राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
2. सुनील कुमार :- All India Correspondence Society Calcutta के द्वारा निर्गत

*Signature*




- प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
3. संतोष कुमार :- Sister Nivedita College, calcutta से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
  4. महेश कुमार :- Sister Nivedita College, calcutta से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
  5. सरला कुमारी :- Sister Nivedita College, calcutta से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
  6. बिन्दु कुमारी :- प्राचीन कला केन्द्र, Chandidagarh के अन्तर्गत Nagar Sangeet Parisad से Fine Art (Painting) का कोर्स है। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :-जमुई

1. शीला कुमारी :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में लंबित रहने का कारण जन्म तिथि की भिन्नता बतायी गई है। बाद में संस्कृत शिक्षा बोर्ड से सत्यापन के उपरान्त जन्म तिथि सही पाए जाने का भी प्रतिवेदित है। काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।

जिला का नाम :-मुँगेर


1. विशुनदेव प्रसाद सिंह :- वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
2. धनसर प्रसाद सिंह :- वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
3. गिरीश चन्द्र सिंह :- मूल आवेदन अप्राप्त। जिला को मूल आवेदन पत्र अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
4. दिलीप ठाकुर :- मूल आवेदन अप्राप्त। जिला को मूल आवेदन पत्र अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
5. विनेश पासवान :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
6. रानी कुमारी :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।
7. अजय पासवान :- मूल आवेदन पत्र अप्राप्त। जिला को मूल आवेदन पत्र अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
8. कपिलदेव कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद, से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
9. रेणु कुमारी :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय, बिहार। अमान्य। अयोग्य।
10. राकेश मलहोत्रा :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।
11. राकेश कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।
12. रविन्द्र कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।
13. विजय कुमार मांझी :- अभ्यर्थी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र छत्रपति साहु जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत दयानन्द बछरनवा डिग्री कॉलेज रायबरेली से है। संस्था का नाम शिक्षा विभाग के अमान्य सूची में नहीं है। अतः सत्यापन कराकर कार्रवाई करने का अनुशंसा किया जाता है।



14. भगवान राम :- अभ्यर्थी का बी० एड० का प्रमाण-पत्र महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से है जो **deemed university** है। मान्य। योग्य।
15. कुशो पासवान :- डा० अम्बेदकर संस्कृत हिन्दी विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण प्राप्त है। अमान्य। अयोग्य।
16. अनिल कुमार सिन्हा :- मूल आवेदन पत्र अप्राप्त। जिला को मूल आवेदन पत्र अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
17. ओम प्रकाश सिन्हा :- बरौनी फटिलाईजर से अप्रेंटिस की प्रशिक्षण की डिग्री है। अमान्य। अयोग्य।
18. एस०एस०अकिल कौशर :- मूल आवेदन पत्र अप्राप्त। जिला को मूल आवेदन पत्र अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
19. मो० अरसदुल कादरी :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :-शेखपुरा

1. खलीकुज्जमाँ :- वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र। अमान्य। अयोग्य।
2. मो० इज्जतबा सैफी :- भारतीय शिक्षा परिषद, उ०प्र० से प्रशिक्षण से प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
3. निजाम अहमद खान :- रविन्द्र विश्व विद्यापीठ, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
4. मो० अमिर हुसैन :- रविन्द्र विश्व विद्यापीठ, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
5. रबीना खातून :- All India Talim Ghar Lucknow से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
6. मो० अमानुल्लाह :- अभ्यर्थी द्वारा नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अरेर, मधुबनी से बी० एड० का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। संस्था के मान्यता का सत्यापन कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है।
7. रामाशीष पासवान :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।
8. संजीव कुमार :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।
9. मंटुन शर्मा :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
10. अनिल कुमार महतो :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
11. सीताराम दास :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।
12. जयनंदन सिंह :- रविन्द्र विश्व विद्यालय, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
13. ~~अनिल राय :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।~~
14. नवीन साह :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय। अमान्य। अयोग्य।



15. रामधनी प्रसाद :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के बाद सत्यापन हेतु पहुँचने की बात कही गई है। अतः काउंसिलिंग हेतु अनुशंसित।
16. राजेश कुमार :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय । अमान्य/अयोग्य ।

जिला का नाम :-सारण

1. बिनोद कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य ।
2. प्रवीण कुमार :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य ।
3. रमेश कुमार सुमन :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य ।
4. ललीता कुमारी :- डा0 अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय । अमान्य। अयोग्य ।
5. शेख सलाहुद्दीन :- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य ।
6. रेयाज अहमद :- भारतीय शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य ।

जिला का नाम :-अरवल

1. सच्चिदानन्द पाठक :- जन्म-तिथि 04.01.1955 है। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। अयोग्य।
2. रामनाथ सिंह (i) नियुक्ति पत्र के दिन अनुपस्थित । वर्तमान आयु 60 वर्ष से उपर (जन्म तिथि-01.05.52)। अयोग्य।
3. परमानन्द सिंह :- नियुक्ति पत्र बाँटने के दिन अनुपस्थित थे। चूँकि नियुक्ति पत्र निर्गत था। नियमानुसार काउंसिलिंग हेतु अनुशंसित।
4. सुनीता कुमारी :- अभ्यर्थी ने मूल आवेदन पत्र में अनुसूचित जनजाति के होने का दावा किया है, जबकि उनके द्वारा समर्पित जाति प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति का है । उनके द्वारा समर्पित अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र के सत्यापन कर संबंधित अनुसूचित जाति आरक्षण कोटि के पद रिक्त होने पर जिला स्तर पर काउंसिलिंग हेतु अनुशंसित।
5. सुनील कुमार :- गाँधी विद्यापीठ, प्रयाग उ0प्र0 से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र। अमान्य। अयोग्य।

जिला का नाम :-औरंगाबाद

1. अनिल कुमार :- प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र नहीं है। भौतिक सत्यापन कराकर निर्णय लिया जाय।

*Q. A. B. S.*

2. योगन्द्र पाण्डेय :- समर स्कूल कम कॉरेस्पोंडेन्ट कोर्स, रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भुवनेश्वर से बी०एड० का कोर्स प्राप्त किया है। जो उत्कल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। प्रमाण पत्र का सत्यापन कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुशंसा किया जाता है।
- 3 संजय कुमार प्रशिक्षण सेवा भारती अध्यापन मंदिर सेवापुरी, वाराणसी से बुनियादी शिक्षा विशारद की उपाधि है। अमान्य। अयोग्य।

औरंगाबाद जिल से कुल 27 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी जिसमें से उपरोक्त तीन अभ्यर्थी के संबंध में विवरणी उपर दर्ज है । शेष 24 अभ्यर्थी काउंसेलिंग में भाग नहीं ले पाए थे, जिन्हें दिनांक-19.06.2015 को ही जिला स्तर पर काउंसेलिंग कराकर नियुक्ति पत्र देना था। अतः उक्त आवेदन पत्रों को जिला को वापस कराते हुए आगामी निर्धारित तिथि को काउंसेलिंग कराने का अनुशंसा किया जाता है।

जिला का नाम :-नवादा

1. सत्यनारायण पासवान :- वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
2. राकेश कुमार :- डा० अम्बेदकर हिन्दी संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
3. सत्येन्द्र नारायण पंचाल :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में संस्थान शामिल। अयोग्य। एक वर्षीय डिप्लोमा की ट्रेनिंग। अमान्य। अयोग्य।
4. शंकर प्रसाद :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में संस्थान शामिल। एक वर्षीय डिप्लोमा की ट्रेनिंग। अमान्य। अयोग्य।
5. दिनेश प्रसाद जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में संस्थान शामिल। एक वर्षीय डिप्लोमा की ट्रेनिंग। अमान्य। अयोग्य।
6. मो० जमील अहमद :- राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर द्वारा प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
7. मो० शहाबुद्दीन - वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
- आलम -


जिला का नाम :-गया

1. सुमंती सिन्हा :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में **BC Category** की महिला है। भूलवश चयन **EBC Category** में किया गया है। 1984-86 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हैं। वर्ष 1991 की पूरक परीक्षा उत्तीर्ण है। अतएव **BC**

*Rubina*

कोटि की महिला मानते हुए नियमानुसार काउंसेलिंग कराने के लिए अनुशंसित।

2. ज्योत्सना रानी :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। 1985-87 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हैं। अतएव BC कोटि की महिला मानते हुए नियमानुसार काउंसेलिंग कराने के लिए अनुशंसित।
3. सुषमा कुमारी :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। 1985-87 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हैं। अतएव BC कोटि की महिला मानते हुए नियमानुसार काउंसेलिंग कराने के लिए अनुशंसित।
4. शकुन्तला सिन्हा :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। 1985-87 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हैं। पुनः 1991 में अनुत्तीर्ण विषयों में उत्तीर्ण हैं। अतएव BC कोटि की महिला मानते हुए नियमानुसार काउंसेलिंग कराने के लिए अनुशंसित।
5. मदन प्रसाद सिंह :- प्रशिक्षण अमान्य संस्था। अयोग्य।
6. सुशीला देवी :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। इस्लामिया प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, फुलवारीशरीफ, पटना से प्रशिक्षण प्राप्त जो मान्य/योग्य है। अतएव BC कोटि की महिला मानते हुए नियमानुसार काउंसेलिंग कराने के लिए अनुशंसित।
7. जीरामणी देवी :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। 1987-89 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग (महिला) कैटेगरी में मानने पर मेधा सूची के अंतिम अभ्यर्थी 1988-90 बैच में 74.9 प्रतिशत प्राप्तांक तक का अंकित है। अतः उक्त कोटि (पिछड़ा वर्ग महिला) का पद रिक्त रहने पर काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।
8. कुमारी पूनम :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। 1988-90 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग (महिला) कैटेगरी में मानने पर मेधा सूची के अंतिम अभ्यर्थी 1988-90 बैच में 74.9 प्रतिशत प्राप्तांक





तक का अंकित है। अतः उक्त कोटि (पिछड़ा वर्ग महिला) का पद रिक्त रहने पर काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित।

9. रेखा कुमारी :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। BC Category में 1986-88 सत्र तक तथा पिछड़ा वर्ग महिला में 1988-90 सत्र तक चयन हुआ है। अंक पत्र पर सत्र 1989-91 अंकित है। जबकि प्रमाण पत्र पर 1994 का सत्र अंकित है। अमान्य। अयोग्य।
10. वंदना :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। BC Category में 1986-88 सत्र तक तथा पिछड़ा वर्ग महिला में 1988-90 सत्र तक चयन हुआ है। अंक पत्र पर सत्र 1990-92 अंकित है। जबकि प्रमाण पत्र पर 1994 का सत्र अंकित है। अयोग्य।
11. क्रान्ति सिन्हा :- अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र में BC Category की महिला है। भूलवश चयन EBC Category में किया गया है। 1985-87 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हैं। वर्ष 1989-90 सत्र में अनुत्तीर्ण विषय में उत्तीर्ण हैं। अतएव BC कोटि की महिला मानते हुए नियमानुसार काउंसेलिंग कराने के लिए अनुशंसित।

जिला का नाम :-अररिया

1. मो० मंजर आलम :- एक वर्षीय प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
2. मो० शम्शुल होदा :- एक वर्षीय प्रशिक्षण। अमान्य। अयोग्य।
3. अहमद रजा अंसारी :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से 1997 में प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
4. मो० सरवर आलम :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से 1997 में प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
5. अब्दुल लतीफ :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से 1998 में प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
6. मो० शब्बीर आलम :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से 1998 में प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
7. एजाज अहमद :- जामिया उर्दू अलीगढ़ से 1999 में प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य। अयोग्य।
8. मो० सज्जाद आलम :- एक वर्षीय प्रशिक्षण सेवाकालीन। अयोग्य।
9. अब्दुल अजीज :- एक वर्षीय प्रशिक्षण सेवाकालीन। अयोग्य।
10. मो० सलाहुद्दीन :- एक वर्षीय प्रशिक्षण सेवाकालीन। अयोग्य।
11. कुमेल असरफ :- एक वर्षीय प्रशिक्षण सेवाकालीन। अयोग्य।
12. मो० शाहिद हुसैन :- एक वर्षीय प्रशिक्षण सेवाकालीन। अयोग्य।
13. मो० अजीमुद्दीन दिलकश :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त। अमान्य।

*Rubha*

अयोग्य ।



14. मंजर आलम :- राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
15. मो० रकीब आलम :- गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त । अमान्य । अयोग्य ।
16. मो० युनुस रसीद :- एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण । अयोग्य ।
17. मो० सनाउल हक :- एक वर्षीय प्रशिक्षण सेवाकालीन । अयोग्य ।

जिला का नाम :-किशनगंज

1. मीरा कुमारी :- अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण का अंकपत्र (1984-86 का) संलग्न है । योग्य । अनुशंसित ।
2. कनक :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में लंबित रहने के कारण **not participated in lottery** अंकित है । जिला द्वारा अभिलेखों की जाँच के उपरान्त काउंसेलिंग की कार्रवाई हेतु अनुशंसित ।
3. मंजु कुमारी :- अभ्यर्थी के आवेदन के लंबित रहने का कारण जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में डा० अम्बेदकर हिन्दी विद्यापीठ, जोकिया, बेगूसराय से प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अंकित है । जबकि प्रमाण पत्र में आवेदिका ने महर्षि दयानन्द प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय दुमका से 1984-86 सत्र में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है । अतः योग्य । अनुशंसित ।
4. कुन्दन कुमार :- आवेदक के आवेदन को लंबित रखने का कारण एक वर्षीय प्रशिक्षण बताया गया है । आवेदक के आवेदन पत्र के साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ददरौल, शाहजहाँपुर (उ०प्र०) का दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र संलग्न है । (सत्र 2001-2003) काउंसेलिंग हेतु अनुशंसित ।
5. राज कुमार :- अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में **Milia Fakhruddin Ali Ahmad Teacher's Training College, Rambag, Purnia** सत्र 1991-92 में जिसकी परीक्षा 1995 में हुई थी, का बी० एड० कोर्स का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया । अतः मान्य । योग्य ।

जिला का नाम :-जहानाबाद

1. श्याम कुमार सिंह :- जिला द्वारा प्रतिवेदित है कि आवेदक की जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति के काउंसेलिंग के दौरान उपस्थिति होने का उल्लेख है । अभ्यर्थी के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित कराकर निर्णय लिया जाएगा ।
2. पुनम कुमारी :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में लॉटरी में अनुपस्थित रहना बताया गया है । जिला द्वारा काउंसेलिंग की कार्रवाई हेतु अनुशंसित ।



3. उमेश कुमार :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में उमेश कुमार नामक दूसरे व्यक्ति के काउंसेलिंग में उपस्थिति होने का उल्लेख है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी०डब्लू०जे०सी० 9498/2012 उमेश कुमार बनाम् बिहार सरकार में दिनांक-15.05.2015 को पारित आदेश में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संबंधित पक्ष को अपने-अपने मामले के निस्तार करने का निदेश दिया गया है। आयोग के द्वारा लिए जानेवाले निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
4. सुरेश प्रसाद सिंह :- अभ्यर्थी द्वारा एक वर्षीय प्रशिक्षण (1984-85) राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, कानपुर से किया गया है। संस्थान अमान्य है। अयोग्य अभ्यर्थी है।
5. भूषण प्रसाद :- अभ्यर्थी का प्रशिक्षण उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली में संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक 314, दिनांक-05.05.2012 द्वारा संस्था की मान्यता नहीं है। अतः अभ्यर्थी अयोग्य है।
6. सुनील कुमार :- अभ्यर्थी द्वारा गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, उ०प्र० से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। निदेशक (प्रा०शि०) के पत्रांक-99, दिनांक-02.02.2012 द्वारा यह संस्थान शिक्षक नियुक्ति हेतु अमान्य है। अतः अभ्यर्थी अयोग्य है।
7. कारू रविदास :- अभ्यर्थी के नाम से आई०डी० सं०-OP2010064202 एवं OP2010086771 का दे आवेदन पत्र पाया गया है। दोनों आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम एक ही है। आवेदन पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक आवेदन पत्र जिसका आई०डी० सं०- OP2010086771 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों में लिप्त लेखन (Overwriting) किया गया है। अभ्यर्थी के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित कराकर निर्णय लिया जाएगा।
8. हुलास प्रसाद :- अभ्यर्थी की उम्मीदवारी के संबंध में लंबित रहने का कारण शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में लिप्त लेखन (Overwriting) बताया गया है। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन कराकर फलाफल के आधार पर कार्रवाई करने का अनुशंसा।
9. सविता कुमारी :- जिला द्वारा प्रतिवेदित पत्र में कहा गया है कि आवेदन पत्र में वर्णित स्थानीय पता एवं फोटो की अभ्यर्थी काउंसेलिंग के दौरान उपस्थित नहीं हुई। एक दूसरी सविता कुमारी उपस्थित हुई थी। इस संबंध में मार्गदर्शन की माँग वरीय स्तर से की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-11934/2012 में दिनांक-13.07.12 को पारित आदेश में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। आयोग के द्वारा लिए जानेवाले निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।





